शहर से हाइवे तक सड़कों पर पशुओं का कब्जा, हर पल हादसे का खतरा

खास बातें

- शाम होते ही चौराहों और मुख्य मार्गों पर जम जाते हैं मवेशियों के झुंड
- रात में बढ़ जाती है वाहन चालकों की परेशानी

नवभारत न्यूज

विदिशा 1 सितम्बर, शहर की सड़कों से लेकर हाईवे और बायपास तक आवारा मवेशियों का जमावड़ा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। शाम ढलते ही शहर के कई प्रमुख चौराहों और मार्गों पर गाय-बछड़ों के झुंड सड़क के बीचों-बीच बैठ जाते हैं. तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक मवेशियों के सामने आ जाने से वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है.

सबसे ज्यादा परेशानी

विदिशा-सागर बायपास, दुर्गा नगर, पीतल मिल, बंटी नगर, रामलीला परिसर, विवेकानंद चौराहा, ढोलखेड़ी चौराहा और मिर्जापुर क्षेत्र में सामने आ रही है। मिर्जापुर क्षेत्र में सड़क के बीच बड़ी संख्या में मवेशियों के खड़े और बैठे रहने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है. यहां तेज गति से आने वाले वाहनों के सामने अचानक मवेशी आ जाने से वाहन चालक कई बार नियंत्रण खोने की स्थिति में पहुंच जाते हैं.

अंधेरे में ज्यादा खतरनाक स्थिति

रात के समय समस्या और गंभीर हो जाती है.सड़क पर बैठे काले और भूरे रंग के मवेशी अंधेरे में दूर से दिखाई नहीं देते.ऐसे में खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. हाईवे और बायपास पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण स्थिति और भी जोखिमभरी हो जाती है.पहला हदसा दो दिन पहले सागर पर कुआखेड़ी गांव के पास हुआ सड़क हादसे में तीन गायों की मौत हो गई. जिससे आक्रोशित गांव वालों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया. जिसके चलते कई घंटों तक यातायात बाधित रहा. यह हादसा भी सड़क पर बैठे आवारा मवेशियों के चलते हुआ. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्यवाही भी की है.वहीं दूसरा हादसा भी सागर रोड पर हुआ दो दिन पहले दमोह से इंदौर जा रही बस रात के समय बीच सड़क पर बैठे मवेशियों के चलते बेकाबू हो गई. इससे बस पलट गई और बस में सवार कई लोग घायल हो गए.लोगों ने बताया कि अधिकाशं रात में सड़क हादसे बीच सड़क पर बैठे मवेशियों के चलते होते हैं.

मवेशी हटाने के साथ मालिकों पर भी हो कार्रवाई

रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका और प्रशासन को केवल औपचारिक अभियान चलाने के बजाय स्थायी समाधान की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। आवारा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही सड़कों पर मवेशी छोड़ने वाले पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.लोगों का कहना है कि जब तक पशु मालिकों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक सड़क पर मवेशियों की समस्या खत्म होना मुश्किल है.

करंट की चपेट में आने से 12 वर्षीय आदिवासी बालक की मौत

- पीड़ित परिवार को 5 लाख से अधिक मुआवजा और एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग
- अजा कांग्रेस कमेटी की न्याय दिलाने की मांग

नवभारत न्यूज

विदिशा 1 सितम्बर, गुलाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नौढ़ई निवासी 12 वर्षीय आदिवासी बालक पुरुषोत्तम आदिवासी की 28 जुलाई 2026 को करंट की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है.

जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि बालक पुरुषोत्तम जिस रास्ते से पढ़ने के लिए जाता था, वहां बिजली के तारों की स्थिति बेहद खतरनाक थी. ज्ञापन के अनुसार रास्ते में नंगे तारों के माध्यम से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से बालक की मौत हो गई.ज्ञापन में बिजली व्यवस्था से संबंधित कथित लापरवाही की जांच कर मंशाराम की भूमिका की भी जांच करने तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है. ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में भी इसी प्रकार बिजली के तार की चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति की जान जा चुकी है.

मुआवजा और शासकीय नौकरी की मांग

जिला अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार एवं जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अरुण कुमार अवस्थी ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को शासन के नियमानुसार ?5 लाख से अधिक का उचित मुआवजा प्रदान किया जाए तथा परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए.उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो.

7 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 7 दिवस के भीतर मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अनुमति प्राप्त कर जिला प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल की जाएगी.ज्ञापन सौंपने के दौरान सीताराम, सविताबाई, सरदार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे.

रेलवे फाटक 273 दो दिन रहेगा बंद

नवभारत न्यूज

विदिशा. रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे ट्रैक के आवश्यक अनुरक्षण कार्य के चलते रेलवे फाटक क्रमांक-273 को दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. रेलवे विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोराई यार्ड-सुमेर सेक्शन के किमी 896/28-30 पर स्थित समपार फाटक क्रमांक-273 पर बीसीएम मशीन से आवश्यक अनुरक्षण कार्य किया जाएगा.निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 एवं 3 सितंबर को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रेलवे फाटक क्रमांक-273 सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा. इस दौरान इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को असुविधा हो सकती है.रेलवे प्रशासन ने आमजन से अनुरोध किया है कि अनुरक्षण कार्य के दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें. फाटक क्रमांक-273 के बंद रहने की अवधि में आवागमन के लिए समपार फाटक क्रमांक-274 का उपयोग किया जा सकेगा.रेलवे प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं आम नागरिकों से निर्धारित समयावधि में सहयोग की अपील की है, ताकि आवश्यक अनुरक्षण कार्य सुरक्षित एवं सुचारू रूप से पूरा किया जा सके.

उप जेल गंजबासौदा में विधिक जागरुकता शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

विदिशा. उप जेल गंजबासौदा में मंगलवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर में न्यायाधीश अवधेश गुप्ता, एडीजे एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पूजा गोले उपस्थित रहीं.शिविर के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया एवं उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी दी गई. न्यायिक अधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याएं भी जानीं.बंदियों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है. आर्थिक अथवा अन्य कारणों से अधिवक्ता उपलब्ध नहीं होने पर पात्र बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है. जिन बंदियों के पास अपने प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं थे, उनके लिए नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई.शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा. इस अवसर पर उप जेल गंजबासौदा के जेलर आलोक कुमार भार्गव सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा.

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 410 पाव मदिरा जब्त

नवभारत न्यूज

विदिशा. जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के लिए कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक 39, पूरनपुरा में कार्रवाई करते हुए एक रिहायशी मकान से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की.

जिला आबकारी अधिकारी विकास त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा पूरनपुरा क्षेत्र स्थित मकान की विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान गोलू यादव, पिता मोहर सिंह यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी पूरनपुरा के कब्जे वाले मकान से 240 पाव देशी मसाला मदिरा एवं 170 पाव गोवा अंग्रेजी मदिरा बरामद हुई. इस प्रकार कुल

410 पाव मदिरा जब्त की गई.जब्त मदिरा की कुल मात्रा 73.8 बल्क लीटर पाई गई, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 48 हजार 260 रुपये बताया गया है. अवैध रूप से मदिरा रखने के मामले में आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.आबकारी विभाग द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आरोपी गोलू यादव को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया.

जनसुनवाई में 156 आवेदन प्राप्त, 75 का मौके पर निराकरण

शेष 81 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को दिए समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश

नवभारत न्यूज

विदिशा. जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए. जनसुनवाई के दौरान कुल 156 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 75 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया. शेष 81 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजे गए हैं.

जनसुनवाई में नागरिकों ने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय, नगर पालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों के आवेदन प्रस्तुत किए. कलेक्टर एवं अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

जनसुनवाई में ऐसे प्रकरण जिनका तत्काल समाधान संभव था, उनका मौके पर ही निराकरण किया गया. वहीं शेष 81 आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसका उद्देश्य शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करना है.

महंगाई और नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे सत्तापक्ष से जुड़े लोग

नवभारत न्यूज

गंजबासौदा. महंगाई और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर अब सत्ता से जुड़े लोगों में भी नाराजगी दिखाई देने लगी है. शक्कर, गुड़, तेल सहित रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के बढ़ते दामों से परेशान लोग सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें आम तौर पर सत्ता और सरकार का समर्थक माना जाता है.

दूसरी ओर गंजबासौदा में नशे के कारोबार के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है. हाथों में होर्डिंग, पोस्टर और पंपलेट लेकर लोग गली-गली पहुंच रहे हैं और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए विरोध दर्ज करा रहे हैं. अभियान में शामिल लोगों का कहना है कि नशे का बढ़ता कारोबार उनके बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है.

पहली बार सत्तापक्ष से जुड़े लोग नशे के खिलाफ मुखर

गंजबासौदा की सड़कों पर नशे के विरोध में चल रहे अभियान में सत्ता से जुड़े लोगों की सक्रिय भागीदारी चर्चा का विषय बनी हुई है. हाथों में नशा विरोधी पोस्टर और पंपलेट लेकर नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है.राजनीतिक गलियारों में इस अभियान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर सरकार या सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह खुलकर सड़क पर दिखाई नहीं देते. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि सत्ता से जुड़े लोगों को भी महंगाई और नशे के मुद्दे पर सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो क्या उनकी आवाज स्थानीय स्तर पर सुनी नहीं जा रही है?

माता-पिता की मृत्यु के बाद बेसहारा हुए पांच भाई-बहनों को मिला संरक्षण

नवभारत न्यूज

गंजबासौदा, ग्राम अबुपुर कुचोली निवासी पांच भाई-बहनों के माता-पिता के निधन के बाद उत्पन्न हुई कठिन परिस्थितियों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों को आवश्यक संरक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पांचों भाई-बहनों के पिता का निधन करीब पांच वर्ष पूर्व हो गया था. इसके बाद बच्चों की माता ही उनका पालन-पोषण कर रही थीं. लेकिन 30 जुलाई 2026 को करंट की चपेट में आने से उनकी भी मृत्यु हो गई. माता-पिता दोनों के निधन के बाद पांचों बच्चे बेसहारा हो गए.बच्चों की स्थिति की जानकारी मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती ऋतु शर्मा द्वारा पांचों बच्चों को आवश्यक संरक्षण एवं आर्थिक सहायता के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

बड़े भाई को बनाया संरक्षक

बाल कल्याण समिति ने बच्चों की स्थिति का संवेदनशीलता से संज्ञान लेते हुए बड़े भाई राजा सहरिया को पांचों बच्चों का संरक्षक नियुक्त किया. समिति ने बच्चों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने, उन्हें शासकीय योजनाओं से जोड़ने तथा नियमानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना अधिकारी, गंजबासौदा को निर्देशित किया.

मन रूपी जल को शांत करो, तभी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा-मुनिश्री

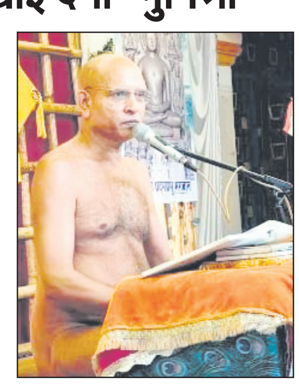

नवभारत न्यूज

विदिशा. श्री शांतिनाथ जिनालय, स्टेशन जैन मंदिर में आयोजित प्रात:कालीन धर्मसभा में मुनि श्री निर्णय सागर महाराज ने मन की शांति और आत्मानुभूति के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि मन रूपी जल में जब राग-द्वेष की तरंगें उठती हैं तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता. जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है.

राष्ट्रीय प्रवक्ता अविनाश जैन विद्यावाणी एवं अशोक गुड्डू ने बताया कि मुनि श्री के प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8.30 बजे हो रहे हैं. आगामी 16 से 25 सितंबर तक दशलक्षण धर्म पर्व के अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें धार्मिक संस्कार, जैन धर्म के सिद्धांत एवं आत्मकल्याण की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा.मुनि श्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि शांत पानी में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि उबलते पानी में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता. इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ और राग-द्वेष मन को अशांत कर देते हैं. आत्मानुभूति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है.उन्होंने कहा कि परमात्मा बनने का मार्ग सही समझ और आत्मचिंतन से प्रशस्त होता है. शरीर और आत्मा का भेद समझने वाला साधक बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है.मुनि श्री ने कहा कि आत्मदर्शन केवल साधुओं तक सीमित नहीं है. गृहस्थ भी मन को स्थिर कर आत्मचिंतन की दिशा में आगे बढ़ सकता है. परिस्थितियों को बदलना हमेशा संभव नहीं, लेकिन उनके प्रति अपनी दृष्टि बदलना हमारे हाथ में है. साधना का उद्देश्य बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि अपने भीतर के मनरूपी जल को शांत करना है.

आयोजन कन्या विद्यालय में आयोजित विधिक जागरुकता शिविर में छात्राओं को दी कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी करें पालन-न्यायाधीश

नवभारत न्यूज

कुरवाई. स्थानीय शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, कुरवाई में मंगलवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के मार्गदर्शन में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम रहे.

विद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य राकेश चौबे एवं शिक्षकों द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया. कार्यक्रम में अपर लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह दांगी एवं एडवोकेट असद नवेद विशेष रूप से उपस्थित रहे.शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश आनंद गौतम ने कहा कि भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, जिसके आधार पर देश की सभी प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं. उन्होंने छात्राओं को बताया कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है.

उन्होंने छात्राओं से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, पर्यावरण संरक्षण एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने का आह्वान किया.न्यायाधीश आनंद गौतम ने दैनिक जीवन से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है. बिना अनुमति किसी व्यक्ति के निजी जीवन, फोटो या व्यक्तिगत जानकारी में हस्तक्षेप करना कानूनन अपराध है.उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में बताया कि किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय कच्ची पर्ची के स्थान पर पक्का बिल अवश्य लें, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में पक्का बिल ही प्रमाण के रूप में मान्य होता है. उन्होंने दवाइयों एवं सौंदर्य प्रसाधनों की निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि जांचने की सलाह दी.उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम में स्वयं आवेदन किया जा सकता है, इसके लिए अधिवक्ता की अनिवार्यता नहीं होती. साथ ही उन्होंने गारंटी और वारंटी के अंतर को समझाते हुए कहा कि गारंटी में खराब सामान को बदला जाता है, जबकि वारंटी में खराब पुर्जों को ठीक किया जाता है.

साइबर अपराधों से बचाव के लिए किया जागरूक

छात्राओं को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मोबाइल एवं सोशल मीडिया का उपयोग सावधानीपूर्वक करें. अनजान संदेशों और लिंक पर क्लिक न करें तथा अपने पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें.उन्होंने कम उम्र में वाहन नहीं चलाने एवं यातायात नियमों का पालन करने की भी सलाह दी. उन्होंने बताया कि आम जनता तक नि:शुल्क न्यायिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित है, जिस पर जरूरतमंद व्यक्ति, महिला या बालिका बिना किसी खर्च के कानूनी सलाह प्राप्त कर सकती है.कार्यक्रम को सफल बनाने में कानूनी स्वयंसेवक फैसल खान, प्रियांश राय एवं साहिब खान का विशेष सहयोग रहा. इस अवसर पर प्राचार्य राकेश चौबे, विद्यालय के शिक्षक, छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

गिरफ्तारी एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी दी

आपराधिक न्याय प्रणाली एवं नागरिक अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है. गिरफ्तार व्यक्ति को अपने परिजनों को सूचना देने, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार प्राप्त है.उन्होंने बताया कि महिला आरोपी को केवल महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है तथा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ्तारी पर रोक है.

प्रेमचंद-कबीर की जयंती, मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि एवं शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस मनाया

नवभारत न्यूज

गंजबासौदा. शहर वाचनालय में साहित्य, संगीत एवं देशभक्ति से जुड़े महापुरुषों और विभूतियों को याद करते हुए मुंशी प्रेमचंद एवं संत कबीर की जयंती, महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि तथा अमर शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया.

कार्यक्रम में उपस्थित दीपक तिवारी एवं कैलाश नामदेव ने मुंशी प्रेमचंद और संत कबीर के साहित्य एवं सामाजिक विचारों को याद करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डाला. स्व. नारायण सदाशिव पिंगले सेवा संस्थान के सुनील बाबू पिंगले ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की वास्तविक परिस्थितियों को सामने रखा, वहीं संत कबीर ने जात-पात एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए मानवता और भाईचारे का संदेश दिया.इस अवसर पर महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. वक्ताओं ने कहा कि रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज और बेमिसाल गायकी से भारतीय संगीत जगत में अमिट पहचान बनाई. उनकी गायकी की विरासत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच जीवंत है.

उधम सिंह के बलिदान को किया नमन

कार्यक्रम में अमर शहीद उधम सिंह के बलिदान को भी नमन किया गया. सतीश शिल्पकार ने कहा कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों में से एक माइकल ओ%ड्वायर की हत्या कर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया. उनका जीवन युवाओं के लिए देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम और त्याग की प्रेरणा है.कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सभी महान विभूतियों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया.

पंजीयन क्र. 8322/26/03/1959 ईमेल: marketingkurwai@gmail.com

कार्यालय-दी कुरवाई सहकारी विपणन समिति मर्यादित कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / आमसभा- 2026-27/ दिनांक- 02/09/2026

//सूचना पत्र//

माननीय महोदय, दी कुरवाई सहकारी विपणन समिति मर्यादित कुरवाई जिला विदिशा के समस्त प्रत्यायुक्त एवं अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की बार्षिक साधारण सभा वर्ष दिनांक 2026-27 दिनांक 16.09.2026 दिन बुधवार को समय दोप. 01.30 बजे स्थान समिति कार्यालय भवन प्रांगण में आयोजित की गई है। जिसमें निम्न सूची में दर्शाए गए विषयों पर विचार कर निर्णय लिए जावेंगें जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

नोट :- साधारण सभा हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हुई, तो स्थगित सभा 30 मिनट के पश्चात नियमानुसार संपन्न की जावेगी।

श्री किशोर कुमार अहरवाल
प्रशासक, मार्के. सोसायटी कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)

श्री इंद्राज सिंह दांगी
सह सचिव/ प्रबंधक, मार्के. सोसायटी
कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)